## राजस्थान सरकार
## निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।

कमाकःप.2 / लेखा–13 / 466 / हा.व. / ज.बूँ. / 2017–18 /                                        दिनांकः

# कार्यालय आदेश

मैसर्स दीनदयाल इन्डस्ट्रीज,लिमिंटेड,दीनदयाल मार्केट, एम.एल.बी. रोड़,ग्वालियर, मध्यप्रदेश को ई–बोली विज्ञप्ति वर्ष 2017–18 के तहत इस विभाग की पांचों रसायनशालाओं द्वारा अपने विभिन्न कयादेशों की कुल राशि रू. 8719377 / – की जॉबवार जडी–बूँटी आपूर्ति के आदेश दिये गये थे। कयादेशों की सामग्री आपूर्ति में फर्म पूर्णतः असफल रही। फर्म द्वारा कयादेशों के विरूद्व जडी–बूँटी की आपूर्ति नहीं किये जाने से विभाग की रसायनशालाओं में उक्त औषधियों का निर्माण नहीं हो पाया फलस्वरूप राज्य में रोगियों को समय पर औषधियों नहीं दी जा सकी फर्म के इस कृत्य से विभाग की छवि भी धूमिल हुई है। केन्द्रीय भण्डार कय समिति की बैठक दिनांक 03.05.2018 एवं 10.05.18 में यह निर्णय लिया गया कि क्यो नहीं उक्त फर्म को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के नियम 46 के तहत बोली लगाने से 3 वर्ष के लिए विवर्जित कर दिया जाये, इससे पूर्व फर्म को अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु अवसर दे दिया जाये।

फर्म को इस कार्यालय के पत्र कमांक प.2 / लेखा–13 / 466 / हा.व. / ज.बूँ. / 2017–18 / 7464–66 दिनांक 11.05.2018 द्वारा दिनांक 15.05.2018 अथवा 16.05.2018 को उपस्थित होने एवं समसंख्यक पत्रांक 7889–90 दिनांक 18.05.2018 द्वारा दिनांक 31.05.2018 अथवा 01.06.2018 को कार्यालय समय में निदेशक के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना पक्ष लिखित में प्रस्तुत करने हेतु रजिस्टर्ड /ई–मेल द्वारा पत्र जारी किया गया किन्तु फर्म के प्रतिनिधि उक्त तिथियों को उपस्थित नहीं हुए। फर्म द्वारा प्रेषित ई–मेल दिनांक 19.05.18 व ई–मेल दिनांक 30.05.18 में अंकित तथ्यों को समिति द्वारा तार्किक व मान्य नहीं पाया गया एवं सी.एस.पी.सी. बैठक दिनांक 12.06.2018 में विचारोंपरान्त यह निश्चय हुआ कि फर्म द्वारा उक्त प्रकार विभाग की बोली प्रकिया में भाग लेकर उपापन कार्यवाही को दूषित कर माल की आपूर्ति नहीं करते हुए विभाग की छवि धूमिल की गई।

अतः उक्त फर्म को इस कृत्य के लिए दोषी मानते हुए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 के तहत आदेश जारी दिनांक से निदेशालय आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत उपापन प्रकिया में भाग लेने से 3 वर्ष के लिए विवर्जित (Debarment from Bidding) किया जाता है।

Sd/-
निदेशक

कमाकःप.2 / लेखा–13 / 466 / हा.व. / ज.बूँ. / 2017–18 / 6287–93                                        दिनांकः 2-7-18

**प्रतिलिपिः–** निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग,राजस्थान, जयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, कार्यालय हाजा ।
3. अतिरिक्त निदेशक राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाएँ, राजस्थान, अजमेर।
4. व्यवस्थापक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला अजमेर / भरतपुर / जोधपुर / केलवाडा / उदयपुर
5. समस्त आहरण वितरण अधिकारी आयुर्वेद विभाग.........................................।
6. प्रोग्रामर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर को भेजकर लेख है कि SPPP पोर्टल व विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7. मैसर्स दीनदयाल इन्डस्ट्रीज,लिमिंटेड,दीनदयाल मार्केट, एम.एल.बी. रोड़,ग्वालियर, मध्यप्रदेश

मुख्य लेखाधिकारी

31